GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

STANDING ORDER NO.11

No. 96/Sec(CA)/56/1 New Delhi, dt. 9.7.96

The Chief Security Commissioners/RPF,
All Zonal Railways.

The Chief Security Commissioner/RPSF,
Railway Board.

The DSCs/RPF,
All Zonal Railways.

The Commandants/RPSF,
1BN. to 8 BNs.

Ref:- Award of DG's Commendation & Insignia on the Twelfth Raising Day of RPF on 20.9.96.

....

The Force is going to celebrate its Twelfth Raising Day on 20.9.96. As in previous years, nominations for the award of DG's Commendation and Insignia should be sent to the undersigned by 31st July '96 positively. This last date is in supersession of instructions issued earlier on this subject.

The guidelines for recommending names for DG's Commendations/Insignia are as under:-

(i) Insignia would be given to maximum 120 and minimum 100 officers & men every year.

(ii) For a strength of every 500, one Commendation of DG is proposed to be awarded. Based on the above norms, a break-up of quota for each Zonal Railway is given in the attached Annexure 'A'.

(iii) The number of recommendations to be made by each Zonal Railway should be double the number of allotted quota of that Zonal Railway.

(iv) 60% nominations of the RPF personnel should be upto the rank of Head Constables and the remaining 40% of the allotted quota will be given to sub-ordinate/gazetted officers. If 40% quota is not met with from amongst the sub-ordinate/gazetted officers, the same can [illegible] given to under officers and other ranks.

(v) Only deserving cases should be recommended after careful scrutiny of the service records. Nobody having undergone any punishment or where chargesheet is contemplated should be recommended for the award. The general reputation, integrity and efficiency of the person should be kept in view before recommendation is made.

The above instructions should be strictly followed while making recommendations for the award of DG's Commendations. The CSCs must ensure that they make requisite number of recommendations as per the quota allotted to their respective Railways. Recommendations less than the allotted quota will not be appreciated.

DA/Annexure 'A'

(JOGINDER SINGH)
DIRECTOR GENERAL/R.P.F.
RAILWAY BOARD.

ANNEXURE 'A'

Rly.	Number of DG's Commendations allotted	No. of recommendations for DG's commendation to be sent.
CR	14	28
ER	17	34
NR	17	34
NER	8	16
NFR	8	16
SR	10	20
SCR	7	14
SER	16	32
WR	12	24
RPSF	10	20
Total	119	238

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

स्थायी आदेश सं. 11

सं. 96/सिक(सी. ए.)/56/1   नयी दिल्ली, दिनांक 9.7.96

मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे. सु. ब.
सभी क्षेत्रीय रेलें.

मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रे. सु. वि. बल.
रेलवे बोर्ड.

मंडल सुरक्षा आयुक्त/रे. सु. बल
सभी क्षेत्रीय रेलें.

कमान्डेन्ट/रे. सु. वि. बल
1 बटालियन से 8 बटालियन तक

संदर्भ :- 20.9.96 को रेल सुरक्षा बल के बारहवें स्थापना दिवस पर महानिदेशक का प्रशंसा पत्र एवं पदक प्रदान करना ।

. . . . . .

यह बल 20.9.96 को अपना बारहवां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है । पिछले वर्ष की भांति, महानिदेशक के प्रशंसा पत्र एवं पदक प्रदान करने के लिए नामांकन 31 जुलाई 96 तक अधोहस्ताक्षरी को अवश्य भेज दिए जाएं । यह अंतिम तिथि इस विषय पर पहले जारी किए गये अनुदेशों के अधिक्रमण में है ।

महानिदेशक के प्रशंसा पत्र/पदक के लिए सिफारिश किए जाने वाले नामों के लिए मार्गनिर्देश नीचे दिए गये हैं –

(1) यह पदक प्रति वर्ष अधिकतम 120 तथा न्यूनतम 100 अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा ।

(ii) प्रत्येक 500 की संख्या के लिए, महानिदेशक का एक प्रशंसा पत्र दिया जाना प्रस्तावित है । उपर्युक्त आनुपात के आधार पर, प्रत्येक क्षेत्रीय रेल के लिए कोटे का ब्योरा संलग्न अनुसूची "ए" में दिया गया है ।

(iii) प्रत्येक क्षेत्रीय रेल द्वारा की जाने वाली सिफारिशों की संख्या उस क्षेत्रीय रेल को आबंटित किए गये संख्या की दुगनी होनी चाहिए ।

(iv) रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों के 60% नामांकन प्रधान कांस्टेबल के रैंक तक के लिए होने चाहिए तथा आबंटित कोटे का बाकी 40% उप निरीक्षकों/राजपत्रित अधिकारियों को दिया जाएगा । यदि 40% का कोटा उप निरीक्षकों/राजपत्रित अधिकारियों से पूरा नहीं होता हो तो इसे नीचे के अधिकारियों तथा अन्य रैंकों को दिया जा सकता है ।

(v) सेवा रिकार्ड की सावधानीपूर्वक जांच के बाद केवल पात्र मामलों की ही सिफारिश की जानी चाहिए । पुरस्कार के लिए ऐसे किसी भी व्यक्ति के नाम की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए जिसे कोई दण्ड दिया हो अथवा कोई आरोप पत्र दिया गया हो । सिफारिश करने से पहले व्यक्ति की सामान्य प्रतिष्ठा, सत्यनिष्ठा तथा कुशलता को ध्यान रखा जाना चाहिए ।

महानिदेशक का प्रशंसा पत्र प्रदान करने हेतु सिफारिश करते समय उपर्युक्त अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए । मुख्य सुरक्षा आयुक्त यह अवश्य सुनिश्चित करें कि वे अपनी रेल को आबंटित किए गये कोटे के अनुसार अपेक्षित संख्या में सिफारिश करते हैं । आबंटित कोटे से कम सिफारिशें करना कोई अच्छी बात नहीं होगी ।

(जोगिन्दर सिंह)
[illegible]
[illegible]

अनुसूची "ए"

रेल	आवंटित किए गये महानिदेशक के पुरस्कार-पत्रों की संख्या	महानिदेशक के पुरस्कार-प. के लिए भेजे जाने वाले [illegible] की संख्या
मध्य रेल	14	28
पूर्व रेल	17	34
उत्तर रेल	17	34
पूर्वोत्तर रेल	3	16
पूर्वो. सीमा रेल	6	16
दक्षिण रेल	10	20
दक्षिण मध्य रेल	7	14
दक्षिण पूर्व रेल	16	32
पश्चिम रेल	12	24
रे. सु. वि. बल.	10	20
कुल	119	238